अपील सूचना अधिकार संख्या 27/2023(GCMS 2023/106) (आरटीआई नं. 212725014444883) श्रीमती सीमा यादव पत्नी श्री संजीव यादव, स्टेट बैंक के पीछे, उदयरामसर, बीकानेर–334402(मोबाईल नं. 93513–84612) बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधीश एवं जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर

05.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सीमा यादव स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.04.2023 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए उसने राज्य लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सीमा यादव ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.04.2023 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. वर्तमान जिलाधीश की श्रीगंगानगर जिले के जिलाधीश के रूप में नियुक्त आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाए जावे।
2. वर्तमान जिलाधीश श्रीगंगानगर की सिविल सेवा में चयन के समय की शैक्षणिक योग्यताओं के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करवाई जाये, जो उन्होंनें सिविल सेवा ज्वाइन करते वक्त प्रस्तुत की थी।
3. वर्तमान जिलाधीश श्रीगंगानगर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रकरणों की संख्या तथा परिवादों की केस नम्बर की सूचना उपलब्ध करवाई जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. वर्तमान जिलाधीश, श्रीगंगानगर (राजस्थान) के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त में दर्ज भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग से सम्बन्धित प्रकरणों की संख्या तथा उनके खिलाफ दर्ज परिवादों की केस नम्बर की सूचना उपलब्ध करवाई जाये।
5. वर्तमान जिलाधीश, श्रीगंगानगर (राजस्थान) श्री सौरभ स्वामी, IAS द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20,20–21, 21–22 तथा 22–23 के लिए चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया है उनकी सूचना तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाई जाये।

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./——/2023/399 दिनांक 09.06.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.04.2023 द्वारा चाही गई सूचना कार्मिक विभाग (क–1) जयपुर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 321 दिनांक 12.05.2023 द्वारा लिख दिया गया था जिसकी प्रति पत्रांक 330 दिनांक 12.05.2023 द्वारा अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील से सम्बन्धित जवाब कार्मिक विभाग (क–1) जयपुर द्वारा पेश किया जाना है।

-sd-
(डा. हरीतिमा)
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है जिसके अनुसार उन्होनें अपने पत्रांक 330 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्मिक विभाग (क–1), जयपुर से सम्बन्धित **सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है।** इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओ के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग (क–1), जयपुर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:35 IST
Reason: SelfAttested